सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–06 सोमवार, दिनांक–06 मार्च, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 01:04 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन द्वारा अनुमति दिये जाने पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा कहा गया कि सदन व्यवस्थित और सुचारू रूप से चले इसके लिए विपक्ष पूरा सहयोग करने को तैयार है।

तदुपरान्त आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री भाई वीरेन्द्र ने तमिलनाडु में बिहारवासियों पर हो रहे हिंसा के संबंध में अपना विचार रखा।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने तथा प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया, जिसके उपरान्त सदन में शान्ति कायम हुई।

[1] प्रश्नकाल :–

- (i) अल्पसूचित प्रश्न संख्या–28 स्थगित।
- (ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
- (iii) 10 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
- (iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
- (v) 112 तारांकित प्रश्न अनागत।

आज के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों का शतप्रतिशत उत्तर प्राप्त होने पर आसन द्वारा सरकार को धन्यवाद दिया गया।

[2] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्रीमती गायत्री देवी, श्री संजय सरावगी एवं श्री जनक सिंह द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये कार्य स्थगन की सूचना को सदन में पढ़ने की अनुमति देने का अनुरोध आसन से किया, जिसके उपरान्त आसन की अनुमति से माननीय सदस्यों ने अपने–अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को पढ़ा।

[3] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i)	श्री महा नंद सिंह	(ii)	श्री इजहारूल हुसैन
(iii)	श्री भरत बिंद	(iv)	श्री मुकेश कुमार यादव
(v)	श्री मुरारी मोहन झा	(vi)	श्रीमती मंजु अग्रवाल
(vii)	श्री रामबली सिंह यादव	(viii)	श्री संदीप सौरभ
(ix)	श्री अरूण शंकर प्रसाद	(x)	श्री मुहम्मद इजहार असफी
(xi)	श्री ललित नारायण मंडल	(xii)	श्री अमरजीत कुशवाहा
(xiii)	श्री ललन कुमार	(xiv)	श्री महबूब आलम
(xv)	श्री विनय कुमार	(xvi)	श्री अखतरूल ईमान
(xvii)	श्री अजय कुमार	(xviii)	श्री अजीत कुमार सिंह
(xix)	श्री सत्यदेव राम	(xx)	श्री संजय सरावगी
(xxi)	श्री रणविजय साहू	(xxii)	श्री विनय कुमार चौधरी
(xxiii)	श्री मनोज मंजिल	(xxiv)	श्री मोहम्मद कामरान
(xxv)	श्री राजेश कुमार	(xxvi)	श्री सूर्यकान्त पासवान
(xxvii)	श्री नितिन नवीन	(xxviii)	श्री गोपाल रविदास
(xxix)	श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता	(xxx)	श्री मो० अनजार नईमी
(xxxi)	श्री सुदामा प्रसाद	(xxxii)	श्री पवन कुमार यादव
(xxxiii)	श्रीमती प्रतिमा कुमारी	(xxxiv)	श्री प्रमोद कुमार
(xxxv)	श्रीमती गायत्री देवी		

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य श्री अजय कुमार एवं अन्य सभासदों का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित तथा दिनांक 03.03.2023 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार रौशन एवं अन्य सभासदों का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित तथा दिनांक 03.03.2023 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा दिया गया।

(iii) माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार एवं अन्य सभासदों का ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

आसन द्वारा घोषणा की गयी की आज के लिए निर्धारित शेष ध्यानाकर्षण सूचना को अगली बैठक में लिया जाएगा।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:05 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[5] वित्तीय कार्य :–वित्तीय वर्ष 2022–23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग [ग्रामीण विकास विभाग] पर वाद–विवाद तथा मतदान।

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

इस दौरान माननीय सदस्य, श्री जीतन राम मांझी, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम द्वारा शब–ए–बरात एवं होली के अवसर पर दिनांक 07.03.2023 को सदन को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि दिनांक 03.03.2023 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में दिनांक 07.03.2023 को सदन को स्थगित रखने की चर्चा हुई थी, परन्तु किसी कारण सहमति नहीं बन पायी। आज अधिकांश सदस्यों की भावना को देखते हुए सरकार की तरफ से दिनांक 07.03.2023 को सदन स्थगित रखने तथा उस दिन के लिए निर्धारित प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण को संबंधित समितियों को सौंपने एवं उस दिन के लिए सूचीबद्ध अनुदान की माग को दिनांक 24 मार्च, 2023 को मुखबंध (गिलोटीन) से निष्पादित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया।

तदुपरान्त सरकार का उपर्युक्त प्रस्ताव सदन से सर्वसम्मति से पारित हुआ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर वाद–विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लियाः–

1. श्री जनक सिंह
2. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन
3. श्री विजय शंकर दूबे
4. श्री प्रमोद कुमार
5. श्री रामवृक्ष सदा
6. श्री महा नंद सिंह
7. श्री जीतन राम मांझी
8. श्री अजय कुमार
9. श्री सूर्यकांत पासवान
10. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन

तदुपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा वाद–विवाद का उत्तर दिया गया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी–बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुई।

विधायी कार्य

राजकीय वित्तीय विधेयक

''बिहार विनियोग विधेयक, 2023''

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विनियोग विधेयक, 2023 को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव पर स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

राजकीय वित्तीय विधेयक ''बिहार विनियोग विधेयक, 2023'' सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[6] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 49 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक–13 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–06.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।